

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं० सं०-2/सा०चि०पदा०-221/2024- /स्वा०, पटना, दिनांक / / 2025

डा० आरती कुमारी, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, योगापट्टी, प० चम्पारण सम्प्रति चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नौतन, सिवान द्वारा द्वितीय संतान के प्रसव हेतु दिनांक-01.01.2024 से 07.06.2024 तक कुल-159 (एक सौ उनसठ) दिनों का उपभोगित अवकाश अवधि को वित्त विभागीय पत्रांक-9889, दिनांक-01.12.2015 के आलोक में मातृत्व अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

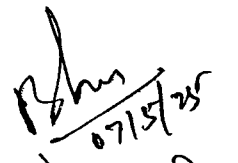
(विद्यानन्द जमादार)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-2/सा०चि०पदा०-221/2024- 705/2 पटना, दिनांक 7/5 / 2025

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सिवान/प० चम्पारण/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नौतन, सिवान/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, योगापट्टी, प० चम्पारण/कोषागार पदाधिकारी, सिवान/डा० आरती कुमारी, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, योगापट्टी, प० चम्पारण सम्प्रति चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नौतन, सिवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



सरकार के अवर सचिव